रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022021-224868
CG-DL-E-01022021-224868

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 55] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 1, 2021/ /माघ 12, 1942
No. 55] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 1, 2021/MAGHA 12, 1942

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 93(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 230 से लेकर 233 और धारा 235 से लेकर 240 के साथ पठित धारा 469 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का नाम कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन के तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम 2016 में, नियम 25 में उप-नियम (1) के बाद निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) अधिनियम की धारा 233 के तहत विलय या समामेलन की स्कीम को किसी भी निम्नलिखित वर्गों की कंपनियों के बीच किया जा सकता है; अर्थात्:-

(i) दो या अधिक स्टार्ट-अप कंपनियां; अथवा

(ii) एक या अधिक छोटी कंपनियों के साथ एक या अधिक स्टार्ट-अप कंपनी।

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए 'स्टार्ट-अप कंपनी' से अभिप्रेत कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा निर्गत 19 फरवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 127 (अ), के अनुसार इस प्रकार मान्यता प्राप्त निजी कंपनी है।''।

[फा. सं. 2/31/सीएए/2013-सीएल.V]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम 14 दिसंबर, 2016 की सा.का.नि. संख्या 1134(अ) के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए और इसके बाद 13 अप्रैल, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 368(अ) और 3 फरवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 79(अ) के द्वारा संशोधित किए गए और इनमें 17 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 773(अ) के द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2021

G.S.R. 93(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 469 read with sections 230 to 233 and sections 235 to 240 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 namely :-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016, in rule 25, after sub-rule (1) the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) A scheme of merger or amalgamation under section 233 of the Act may be entered into between any of the following class of companies, namely:-

(i) two or more start-up companies; or

(ii) one or more start-up company with one or more small company.

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, "start-up company" means a private company incorporated under the Companies Act, 2013 or Companies Act, 1956 and recognised as such in accordance with notification number G.S.R. 127 (E), dated the 19th February, 2019 issued by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade."

[F. No. 2/31/CAA/2013-CL.V]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1134(E), dated the 14th December, 2016, and subsequently amended vide notification number G.S.R. 368(E), dated the 13th April 2017 and *vide* notification number G.S.R. 79(E), dated the 3rd February, 2020 and last amended *vide* notification number G.S.R. 773(E) dated 17th December, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and
Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2021.02.01 23:21:39 +05'30'